

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन शाखा मधुबनी)

अधिसूचना

संख्या-...../डी.एल.ए.मधुबनी/2012...../रा0 दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा वासुदेवपुर(टोले अरनामा) थाना न.- 25 थाना- फूलपरास, अंचल-खुटौना परगना- अलापुर जिला-मधुबनी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् एस0एस0बी कैम्प वासुदेवपुर(टोले अरनामा) स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव वासुदेवपुर(टोले अरनामा) के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकवा- 02.56 एकड़ होता है। अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है -

पूर्ण खेसरा नं0- 4765,4766,4767,4751.

अंश खेसरा नं.- 4748,4750,4752.

सीमा सूची:-

उत्तर:- खेसरा नं0- 4763,4764,4756,4755,4754,4752.

दक्षिण:- खेसरा नं0- 4770,4768,4750,4748.

पूरब:- खेसरा नं0- सड़क

पश्चिम:-खेसरा नं0- 4763 एवं 4771.


यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1984 की धारा 4 के उपबंधों के अधिन (जैसा कि बिहार अधिनियम-11, 1961 द्वारा संशोधित हुआ है।) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका उससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।


बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी मधुबनी एवं अधियाची विभाग को भूमि पर आने जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।


यह अधिनियम की धारा- 17-(4) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबंध लागू नहीं होंगे।

राज्यपाल के आदेश

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
मधुबनी

  
अपर समाहर्ता  
मधुबनी

  
समाहर्ता  
मधुबनी

  
सरकार के सचिव


ज्ञापांक- 15.3.13 / रा0 / भू-अर्जन, पटना, दिनांक.....19.....06.....13.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानिय भाषा में हो एवं कतरण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मधुबनी/अपर समाहर्ता मधुबनी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कमांडेन्ट एस.एस.बी. राजनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव